

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

दिनांक 22 फरवरी 2024 को आयोजित बैठक संख्या 12 में बोर्ड के संकल्प

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
1.	214	निविदा संख्या 47/2023 - वर्ष 2023-24 से तीन वर्षों के लिए, मुंबई पत्तन के एप्रोच चैनल, टर्निंग सर्कल, बाहरी बर्थ, इंदिरा डॉक बेसिन, बंदर क्षेत्र और एंकरेज में रखरखाव ड्रेजिंग - मुल्य बोली की स्वीकृति.	बोर्ड ने वैन ओर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त वर्ष 2023-24 से 3 वर्षों की अवधि के लिए विषय कार्य के लिए रु.2,16,39,78,520 (जीएसटी को छोड़कर) की राशी के संशोधित प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए निविदा समिति की सिफारिश के लिए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
2.	215	11 जनवरी 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक संख्या 11 के कार्यवृत्त की पुष्टि.	बोर्ड ने 11 जनवरी 2024 को आयोजित बैठक संख्या 11 के कार्यवृत्त की पुष्टि की.	सामान्य प्रशासन
3.	216	श्री अमितकुमार जयप्रसाद दवे, सलाहकार (संपदा) के अनुबंध का दिनांक 2.2.2024 से 1.2.2025 तक एक वर्ष के लिए विस्तार तत्संबंधी.	बोर्ड ने सलाहकार संपदा के रूप में श्री अमितकुमार दवे की नियुक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित करने की मंजूरी दी, जिसमें एक दिन का ब्रेक दिया गया, यानी दिनांक 2.2.2024 से 1.2.2025 तक समेकित मासिक परिश्रमिक में 5% की वृद्धि के साथ यानी रु.1,10,250 + यात्रा भत्ता रु.30,000 प्रति माह और अन्य नियम और शर्तें दिनांक 25.1.2021 के पिछले अनुबंध के प्रस्ताव के अनुसार.	सामान्य प्रशासन
4.	217	अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष कर्तव्य अधिकारी (सीनियर) के रूप में श्री पद्माकर गोसावी जुइकर और विशेष कर्तव्य अधिकारी (जूनियर) के रूप में श्री लक्ष्मण गणपत जाधव की संविदात्मक नियुक्ति का विस्तार.	बोर्ड ने निम्नलिखित को अनुमोदन दिया - (i) श्री पद्माकर गोसावी जुइकर और श्री लक्ष्मण गणपत जाधव को ओएसडी (सीनियर) और ओएसडी (जूनियर) के पदों के लिए दिनांक 4.1.2024 और दिनांक 7.1.2024 से क्रमशः प्रभावी एक वर्ष के लिए संविदात्मक नियुक्ति का विस्तार और;	यातायात

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
			(ii) उनके समेकित मासिक परिश्रमिक में 5% की वृद्धि और उन्ही नियमों और शर्तों पर जैसा कि उनके प्रारंभिक अनुबंध के प्रस्ताव में उल्लिखित है.	
5.	218	सागर सामाजिक सहयोग - महा पत्तन प्राधिकरणों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर संशोधित दिशानिर्देश, 2023 के संबंध में.	बोर्ड ने निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया - (i) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.6.2023 के पत्र द्वारा जारी महा पत्तन - 2023 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जीएसआर पर "सागर सामाजिक सहयोग" संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाना (ii) नोट के पैरा 3.2 (II) के मद्देनजर सीएसआर समिति का पुनर्गठन करें.	सामान्य प्रशासन
6.	219	जीईएम के माध्यम से यातायात विभाग के कंटेनर फ्रेट स्टेशन कार्यालय (सीएफएस) में किराये के आधार पर फोटोकॉपियर मशीन किराया आधार पर लेना.	बोर्ड ने नोट के पैरा 16 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
7.	220	(i) निविदा संख्या ई.70/2020 के लिए पहला और दूसरा विस्तार-कूड़ा, कचरा, मिट्टी, गाद, कचरा, गैर-धातु कचरा का परिवहन, जहाजों से और परिचालन क्षेत्रों से सीधे सफाई (ii) निविदा संख्या ई.70/2020 के लिए दूसरा विस्तार- यातायात प्रबंधक के अधिकार क्षेत्र में आने वाले परिचालन क्षेत्रों में स्थित शौचालय ब्लॉकों की सफाई और रखरखाव के लिए द्वि-वार्षिक अनुबंध.	बोर्ड ने नोट के पैरा 23 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
8.	221	ब्याज बिलों के लिए न्यूनतम राशि - एसओआर के सामान्य नियम और शर्तों में संशोधन.	बोर्ड ने नोट के पैरा 4 में दिए गए वि.स.एवं मु.ले.अ. के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	वित्त
9.	222	शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष 2024-2025 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण में 11 स्नातक/तकनीशियन और 50 कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक (सीओपीए) ट्रेड अपरेटिंसों की नियुक्ति.	बोर्ड ने नोट के पैरा 9 में दिए गए मुख्य यांत्रिकी अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	एमईईडी
10.	223	आईआर श्रेणी के अंतर्गत यात्री जहाज एम.वी. कल्पना के विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित मरम्मत कार्य.	<p>बोर्ड ने मुख्य यांत्रिकी अभियंता के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित किया.</p> <p>(i) निविदा संख्या एमईईडी 05/2022 से संबंधित रु.69,92,421/- (जीएसटी सहित) का अतिरिक्त निष्पादन.</p> <p>(ii) निविदा संख्या MEED-05/2022 से संबंधित रु.1,32,65,681/- (जीएसटी और अतिरिक्त 83 दिनों के ड्राई डॉक शुल्कों सहित) का अतिरिक्त निष्पादन.</p> <p>(iii) निविदा संख्या एमईईडी-05/2022 से संबंधित समापन अवधि को अतिरिक्त 83 दिनों तक बढ़ाने के लिए.</p> <p>(iv) विभिन्न वेंडरों द्वारा जहाज एम.वी. कल्पना पर किए गए सभी मरम्मत कार्यों के लिए संशोधित अनुमान संख्या ईमईईडी.81ए/2021-22 की राशि रु.3,06,99,800.33 (जीएसटी सहित) को</p> <p>(v) नोट के पैरा 10 में बताए अनुसार विभिन्न वेन्डरों को भुगतान करना.</p>	एमईईडी

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
11.	224	मुंप्रा अस्पताल में लोकम आधार पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन - आर.आर. सिन्हा समिति की रिपोर्ट. (रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 26 पर बिंदु संख्या 17) अनुबंध के आधार पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के पारिश्रमिक का समेकन.	बोर्ड ने नोट के पैरा 23 में दिए गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	चिकित्सा
12.	225	दिनांक 1.4.2023 तक बोर्ड के कर्मचारियों की अनुसूची.	विचार - विमर्श आस्थगित.	चिकित्सा
13.	226	निविदा संख्या ई-106/2015: मुंप्रा संपदाओं में निदिष्ट स्थानों पर विज्ञापनों का प्रदर्शन - मुंबई पत्तन प्राधिकरण और ब्राइट आउटडोर मीडिया प्रा. लि. के बीच समझौता करार को मंजूरी (विज्ञापनदाता)	बोर्ड ने मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित किया. (i) नोट के पैरा 8 में बताया अनुसार समझौता राशि के साथ सीएससी (अनुलग्नक- I) द्वारा तैयार किए गए समझौता करार के नियमों और शर्तों को स्वीकार करें और मुख्य अभियंता को मुंप्रा की ओर से समझौता करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करें. ब्राइट आउटडोर मीडिया प्रा. लि. को 500 दिनों का विस्तार प्रदान किया जाए. (ii) नोट के पैरा 7 में बताया अनुसार सीएससी और लॉ प्वाइंट को शुल्क का भुगतान करना.	स्थापना अभियांत्रिकि
14.	227	डीपीआर तैयार करने और पर्यावरण और सीआरजेड मंजूरी प्राप्त करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति और मैलेट बंदर के विकास के लिए कंसेशनर के चयन को मंजूरी - आरएफपी के मुख्य पहलू.	बोर्ड ने मुख्य अभियंता के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया : (i) मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों और मनोरंजन और पर्यटन गतिविधियों के लिए मैलेट बंदर की भूमि का विकास (ii) डीपीआर तैयार करने और पर्यावरण और सीआरजेड मंजूरी प्राप्त करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति और मैलेट बंदर के विकास के लिए कंसेशनर का चयन. (iii) आरएफपी की मुख्य विशेषताओं को अनुमोदन.	स्थापना अभियांत्रिकि

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
15	228	निविदा संख्या ई.78/2015 - इंदिरा गोदी, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय कूज टर्मिनल के उन्नयन/आधुनिकीकरण का परामर्श कार्य - परामर्श कार्य शुल्क में वृद्धि.	बोर्ड ने बाह्य समीक्षा समिति द्वारा यथा अनुशंसित विषय कार्य की निविदा संख्या ई.78/2015 के मूल नियमों और शर्तों के साथ रु.2.63 करोड़ (यानी रु.1.45 करोड़ मूल राशि और रु.1.18 करोड़ का अतिरिक्त शुल्क) की संशोधित कुल परामर्श शुल्क की स्वीकृति के लिए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य अभियंता
16	229	नामांकन के आधार पर अनुबंधों का विस्तार- जय मल्हार हायरिंग सर्विस को 2 बीएलएस एम्बुलेंस प्रदान करने के लिए और जिकित्जा हेल्थकेयर लिमिटेड को 1 एएलएस एम्बुलेंस मुंप्रा अस्पताल में प्रदान करने के लिए.	बोर्ड ने नोट के पैरा 6 में दिए गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	चिकित्सा
17	230	प्रिंसेस डॉक पर मौजूदा रो-पैक्स सुविधा के विस्तार के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना - नामांकन के आधार पर तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए आईआईटी मद्रास की नियुक्ति.	बोर्ड ने नामांकन के आधार पर रो-पैक्स सुविधा के विस्तार के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन के लिए प्रोफेसर नल्लायारासु के प्रतिनिधित्व वाले, आईआईटीएम की नियुक्ति के लिए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य अभियंता
18	231	निविदा संख्या सीएमओ-06/2020-21- मुंप्रा अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की मानवशक्ति की आपूर्ति - वेतन भुगतान के लिए ठेकेदार द्वारा अनुपालन न करने के कारण मुंप्रा द्वारा परिचारिकाओं के वेतन के भुगतान की मंजूरी.	बोर्ड ने नोट के पैरा 12 में दिए गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	चिकित्सा
19	232	मुंबई पत्तन प्राधिकरण के लिए शिवडी में इको पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधक सलाहकारों की नियुक्ति.	बोर्ड ने मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित किया: (i) पूर्व निविदा संख्या 139(बी)/2016 को पुरोबंध करना - शिवडी में पारिस्थितिक (इको) और सांस्कृतिक पार्क के विकास के लिए परामर्श सेवाएं.	स्थापत्य अभियंता

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
			(ii) नोट के पैरा 4 में बताए गए आरएफपी मसौदे की मुख्य विशेषताओं के आधार पर मुंबई पत्तन प्राधिकरण के लिए शिवडी में इको पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की नियुक्ति.	
20	233	ट्रेजिंग और डंपिंग अनुमति के लिए एसओपी की समीक्षा की गई.	बोर्ड ने ट्रेजिंग और डंपिंग अनुमति के लिए एसओपी को संशोधित करने को उपसंरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	समुद्री
21	234	टाटा मोटर्स पीडी खाते से काटे गए अतिरिक्त घाटशुल्क की वापसी.	बोर्ड ने नोट के पैरा 14(6) में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
22	235	निविदा सं. ई.132/2018 - प्रिंसेस डॉक पर रोपैक्स पैसेंजर टर्मिनल सह रेस्तरां की रेट्रोफिटिंग, संचालन और रखरखाव (मुंबई पोर्ट) - पूर्ववर्ती शर्त का अनुपालन और पूर्ववर्ती शर्त पूरा करने के लिए समय का विस्तार.	बोर्ड ने नोट के पैरा 8 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य अभियंता
23	236	निविदा सं. ई.59/2023 - "ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से दिर्घकालिक पट्टे पर 12/14 वीडी पर विक्टोरिया डॉक के पास कस्टम बाउंड क्षेत्र के अंदर टैंक टर्मिनल का आबंटन" - प्रस्ताव की स्वीकृति.	बोर्ड ने नोट के पैरा 7 में दिए गए मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	स्थापत्य अभियंता
24	237	सुपर-स्पेशियलिटी/मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों/डायग्नोस्टिक और इमेजिंग केंद्रों/विशेष नेत्र अस्पतालों/विशेष डायलिसिस केंद्रों/विशेष कैंसर अस्पतालों के नए और विस्तार के पैनल बनाने की शक्तियों का प्रत्यायोजन मुंबई पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष को सौंपने का प्रस्ताव.	बोर्ड ने नोट के पैरा 9 में दिए गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	चिकित्सा
25	238	24 नवंबर 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट.	बोर्ड ने 24.11.2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया.	सामान्य प्रशासन

अनु. क्र.	बी आर स. संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
26	239	मैलेट बंदर और ससून डॉक से मछली पकड़ने वाली नाव को आपूर्ति की गई बर्फ के प्रभारों की वसूली.	<p>बोर्ड ने एसओआर की धारा 8.1 डी में निम्नानुसार संशोधन करने के लिए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया:</p> <p><u>8.1 डी लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों द्वारा पानी/बर्फ की आपूर्ति</u></p> <p>लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों द्वारा पानी/बर्फ की आपूर्ति पर क्रमशः रु.20.43 प्रति 1000 लीटर/रु.410 प्रति वाहन की दर से शुल्क लगाया जाएगा.</p>	यातायात

11.Pro 11 January 2024\actiontaken20240111(Hindi).doc